

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०१०९/कोर्ट-०२-०६/२०१८ /स्वा०/पटना,दिनांक / डा० प्रमोद कुमार, प्र० चि० पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र कुर्था, अरवल को दिनांक ०७.०६.२०१८ को शराब का सेवन करते हुए गिरफ्तार किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली १९७६ के नियम ४ के उल्लंघन के लिए सी० सी० ए० रूल्स २००५ के नियम ९(२)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं० १०२८(९) दिनांक १७.०९.२०१८ के द्वारा निलंबित किया गया था। डा० प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक २३.११.१८ को विभाग में आवेदन समर्पित किया गया। आवेदन एवं संलग्न कागजातों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डा० कुमार को वास्तव में अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ब्रेथ एनालाईजर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि डा० कुमार के द्वारा शराब का सेवन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन अरवल के प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक अरवल से भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसकी विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा० प्रमोद कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्था, अरवल को निलंबन मुक्त करते हुए पूर्ववत कार्य निष्पादन का निदेश दिया जाता है। निलम्बन अवधि का विनिश्चयन excise case no 554/2018 के अंतिम निष्पादन पर आधारित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक: ०१(९)

/स्वा०, पटना, दिनांक: २५/११/२०१९

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, (ले० ए० ह०) बिहार पटना/ उप सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमण्डल गया/सिविल सर्जन अरवल/ जिला पदाधिकारी अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डा० प्रमोद कुमार प्र० चि० पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र कुर्था, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के आप्त सचिव /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी २,३,५,७,८,१०, १७ एवं १८ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव